न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 29/2018

अनवान :

1. लोकेश कुमार
2. सुरेश कुमार
3. नरेश कुमार

} पुत्रान हनुमान जाति जाट नाबालिगान जरिये वली कुदरती माता राजबाला पत्नि हनुमान जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान पत्र हेमराज जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : **प्रार्थी**

निर्णय **दिनांकः** 10.5.18

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता सं0 49/45 के मु0नं0 34 के किला नं0 13 ता 18 की 1.265 है0 किला नं0 23 ता 25 की 0.759 है0, कुल 2.277 है0 मु0नं 35 के किला नं0 11 ता 25 की 3.795 है0 मु0नं0 36 के किला नं0 1 ता 5 की 1.265 है0 किला नं0 10 की 0.253 है0 कुल 1.518 हे0 मु0नं0 37 के किला नं0 3 ता 8 की 1.518 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 9.108 है0 नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 हनुमान की 3.795 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रक व दादालाई सम्पति है जिसमें मुझ सायलान व प्रतिवादीयासं0 2 का गैरसायल सं0 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा है। गैरसायल सं0 1 हनुमान ने अपने हिस्से में आने वाली कृषि भूमि से अधिक हिस्सा पहले से ही बिना पारिवारिक जरूरत के बेचान कर दिया है। सायलान के पड़दादा आदराम की मृत्यु होने के उपरान्त वसीयत के मुताबिक उपरोक्त कृषि भूमि सीधा इन्तकाल वादीगण के पिता हनुमान व ताऊ मगतुराम के नाम दर्ज करवा दिया गया। सायलान का पिता शराबी किस्म का व्यक्ति है, दुर्व्यसनों का आदी है वह अन्य लोगों के बहकावे में आकर अपने नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि को बेचान करने पर आमादा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बाद तामील हाजीर अदालत आया।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी ने कोई एतराज जाहिर नहीं किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने चक 10 एनटीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि पर कृषिभूमि को बैय व मुन्तकिल नहीं करने हेतु अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

निषेधाज्ञा चाही है। अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी के विरूद्ध ताफैसला दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता सं0 49/45 के मु0नं0 34 के किला नं0 13 ता 18 की 1.265 है0 किला नं0 23 ता 25 की 0.759 है0, कुल 2.277 है0 मु0नं 35 के किला नं0 11 ता 25 की 3.795 है0 मु0नं0 36 के किला नं0 1 ता 5 की 1.265 है0 किला नं0 10 की 0.253 है0 कुल 1. 518 हे0 मु0नं0 37 के किला नं0 3 ता 8 की 1.518 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 9.108 है0 नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को बैय व मुन्तकिल नहीं करें एवं किसी प्रकार बेचान करने हेतु इकरारनामा निष्पादित नहीं करावे।

निर्णय आज दिनांक 10.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ